न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 88/13 पुनः दर्ज सं.: 259/16

दर्ज दिनांकः 28/03/13 पुनः दर्ज दिनांकः 01/02/16

निर्णय दिनांक : 29/09/2017

<u>संशोधित शीर्षक</u>

1. भूरा पुत्र कोका जाति जाट, निवासीः चित्तौडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

   1/1 मनभर देवी पत्नि भूरा (फौत)

   1/2 जगदीश पुत्र भूरा

   1/3 ज्याना पुत्री भूरा

   1/4 नन्छी पुत्री भूरा

   समस्त जाति जाट, निवासीः ग्राम चित्तौडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

—— वादीगण

बनाम

1. लालाराम पुत्र भैरू
2. माधो पुत्र बालू

   जाति जाट, निवासीः चित्तौडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितः

श्री विनोद कुमार जैन एडवोकेट
श्री पंकज जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
श्री कृष्ण कुमार लखेरा एडवोकेट
श्री विनय जैन एडवोकेट
श्री गोविन्द सिंह एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

निर्णय दिनांकः 29/09/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या 316 के खसरा नंबर 1403 व 1404 किता 2 रकबा 1.09 बीघा वाके ग्राम चित्तौडा तहसील फागी में स्थित है जिसका वादी एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। खसरा नंबरान 1404 व 1403 के लगवा ही खसरा नंबर 1405 स्थित है जिसके प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। खसरा नंबर 1405 की खातेदारी भैरू पुत्र बालू हिस्सा 1/2 के नाम है, भैरू फौत हो गया जिसका वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है। खसरा नंबर 1405 के पश्चिम की ओर आम रास्ता है तथा जिसके पीछे पूर्वी दिशा में मिन वादी का खसरा नंबर 1404 स्थित है। वादी की खातेदारी/काश्तकारी का खसरा नंबर 1404 नजरी नक्शा व मौके के अनुसार एल आकार में है जो कि उत्तरी दिशा में जाकर पश्चिम की ओर रास्ते पर खुलता है तथा जिसके जरिये ही वादी अपनी आराजी भूमि खसरा नंबर 1404 व 1403 में आता जाता है तथा काश्त करता है। वादी की खातेदारी में जो खसरा नंबर 1404 है वादी उसी के रास्ते होकर अपनी आराजी में आता जाता है तथा शांतिपूर्वक उसका उपयोग उपभोग करते हुए अपनी अन्य आराजी को काश्त करता है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। पिछले कुछ समय से प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया है और वे वादी को उसकी आराजी से महरूम रखने की चेष्टा में है। चूंकि प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1405 रास्ते के लगवा है जबकि वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1404 का कुछ हिस्सा ही रास्ते के लगवा है। प्रतिवादीगण वादी को आराजी खसरा नंबर 1404 के उस हिस्से पर जो कि रास्ते के लगवा है पर जबरन दीवार लगाकर वादी को उसकी कब्जे काश्त की आराजी से वंचित करना चाहते है। अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण वादी से आये दिन झगडा फिसाद करते है और जबरन कब्जा कर रास्ता रोकने की धमकी देते है जिस पर परेशान होकर वादी ने श्रीमान उपतहसीलदार महोदय माधोराजपुरा के यहां से सीमाज्ञान का आदेश करवा कर जरिये हल्का पटवारी सीमाज्ञान भी करवा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लिया लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त सीमाज्ञान को भी मानने से इंकार कर दिया और हर सूरत में वादी की आराजी भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण के हौसले काफी बुलन्द है और उन्होने एक नाजायज संगठन बना रखा है तथा वादी की कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर उसे उसकी आराजी से वंचित करने की नियत से दिनांक 25/03/13 को प्रतिवादीगण जबरन वादी की की आराजी भूमि खसरा नंबर 1404 में जरिये जे.सी.बी नींव खोदने लगे तो वादी ने उन्हे ऐसा करने से मना किया और कहा कि भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है आप हमारी भूमि में नींव नहीं खोदे तो प्रतिवादीगण वादी पर आग बबूला हो गये और ऐलानिया धमकी दी कि वे हर सूरत में वादी की भूमि पर पक्की दीवार का निर्माण कर वादी को उसकी खातेदारी की आराजी भूमि से वंचित करके ही रहेगे जिस पर वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। प्रतिवादीगण के हौसले काफी बुलन्द है और वे हर सूरत में वादी को उसकी आराजी से वंचित करने की फिराक में है जिसके लिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गये तो वादी अपनी एकमात्र आजीविका से वंचित हो जावेगा तथा उसे ऐसी असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी की आराजी खसरा नंबर 1404 व 1403 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, न ही नीवे खोदे, न दीवान लगावे। वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे व न किसी अन्य से करावे तथा उसके आने जाने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, न किसी अन्य से करावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से श्री कृष्ण कुमार लखेरा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। पप्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वकील वादी को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट चित्तौडा में पेश हुई। मौके पर पक्षकारान का पक्ष सुना गया व फर्द मौका तैयार करवाया गया। तहसीलदार फागी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार फागी ने रिपोर्ट मय फर्द मौका प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील पक्षकारान ने फर्द मौका अनुसार वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फोटाप्रति जमाबंदी, जवाबदावा, पक्षकारान की सहमतिनुसार फर्द मौका इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि खसरा नंबर 1403 एवं 1404 ग्राम चित्तौडा तहसील फागी, जिला जयपुर का वादी खातेदार काश्तकार है।

चूंकि पक्षकारान ने फर्द मौका अनुसार वाद को डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति जाहिर की है न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर फर्द मौका अनुसार प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि फर्द मौका जो निम्न है कि "ग्राम चित्तौडा के खसरा नंबर 1402 गै.मु. चाह एवं 1403, 1404 एवं 1405 व 1404 को वादी जगदीश एवं उपस्थित पडौसी खातेदारान के सन्मुख चाह पुख्ता से जरीब चलाकर उक्त नंबरान के चारो ओर निशानदेही कराकर उपस्थितगणो को समझाया गया। वादी के आवेदन पर खसरा नंबर 1402 चाह पुख्ता से उत्तर की ओर 5 गठ्ठा पर निशान लगाया गया तथा पश्चिम से 7 गठ्ठा पर निशान कराया गया। पूर्व में 3

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

गठ्ठा पर निशान लगाया गया तथा दक्षिण में 4 गठ्ठा पर निशान कराया गया तथा इसी चाह पुख्ता से 3 जरीब 2 गठ्ठा दक्षिण दिशा की तरफ चलाकर खसरा नंबर 1403 का पूर्वी दक्षिणी सीमा कायम की गई जो मौके पर मेड बनी हुयी है जो सही है तथा इसी कोने से पश्चिम की तरफ जरीब चलाकर खसरा नंबर 1404 पश्चिमी दक्षिणी कोना कायम किया गया जिसमे पास मौके पर खसरा नंबर 1405 में पुख्ता दीवान बनी हुयी है जो सही है तथा इसी निशान से उत्तर की ओर 3 जरीब 7 गठ्ठा जरीब चलाकर खसरा नंबर 1404 की उत्तरी सीमा कायम की गई तथा चाह पुख्ता खसरा नंबर 1402 से 2 जरीब 2 गठ्ठा पश्चिम की ओर चलाकर खसरा नंबर 1404 को उत्तरी पश्चिमी सीमा कायम की गई। इस प्रकार चारो ओर निशान लगाकर वादी एवं उपस्थितजनो को समझाया गया। खसरा नंबर 1404 की उत्तरी सीमा पर करीब 3 गठ्ठा चौडी खसरा नंबर 1401 में मिली हुयी है। उक्त सीमाज्ञान पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लठ्ठा से की गयी है," के अनुसार वादी की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान
भूरा
बनाम
लाला व अन्य

:– वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा :–

मुकदमा नं0 – 259/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि फर्द मौका जो निम्न है कि ग्राम चित्तौडा के खसरा नंबर 1402 गै.मु. चाह एवं 1403, 1404 एवं 1405 व 1404 को वादी जगदीश एवं उपस्थित पडौसी खातेदारान के सन्मुख चाह पुख्ता से जरीब चलाकर उक्त नंबरान के चारो ओर निशानदेही कराकर उपस्थितगणो को समझाया गया। वादी के आवेदन पर खसरा नंबर 1402 चाह पुख्ता से उत्तर की ओर 5 गठ्ठा पर निशान लगाया गया तथा पश्चिम से 7 गठ्ठा पर निशान कराया गया। पूर्व में 3 गठ्ठा पर निशान लगाया गया तथा दक्षिण में 4 गठ्ठा पर निशान कराया गया तथा इसी चाह पुख्ता से 3 जरीब 2 गठ्ठा दक्षिण दिशा की तरफ चलाकर खसरा नंबर 1403 का पूर्वी दक्षिणी सीमा कायम की गई जो मौके पर मेड बनी हुयी है जो सही है तथा इसी कोने से पश्चिम की तरफ जरीब चलाकर खसरा नंबर 1404 पश्चिमी दक्षिणी कोना कायम किया गया जिसमे पास मौके पर खसरा नंबर 1405 में पुख्ता दीवान बनी हुयी है जो सही है तथा इसी निशान से उत्तर की ओर 3 जरीब 7 गठ्ठा जरीब चलाकर खसरा नंबर 1404 की उत्तरी सीमा कायम की गई तथा चाह पुख्ता खसरा नंबर 1402 से 2 जरीब 2 गठ्ठा पश्चिम की ओर चलाकर खसरा नंबर 1404 को उत्तरी पश्चिमी सीमा कायम की गई। इस प्रकार चारो ओर निशान लगाकर वादी एवं उपस्थितजनो को समझाया गया। खसरा नंबर 1404 की उत्तरी सीमा पर करीब 3 गठ्ठा चौडी खसरा नंबर 1401 में मिली हुयी है। उक्त सीमाज्ञान पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लठ्ठा से की गयी है, के अनुसार वादी की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप नहीं करे।

निज..................मुबलिग...बाबत..
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक....................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/09/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.................

मुहर

ओहदा...................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी